

आवेदक/अभियुक्त केदार सिंह द्वारा श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 898/09 उनवान पुलिस थाना मौ बनाम सबडाला उर्फ पप्पू का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदक की ओर से जमान आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक के बड़े भाई थान सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक प्रथम जमानत आवेदन है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय में या समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में जमानत पर था किंतु उसके परिवार में गमी हो जाने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपने अभिभाषक को सूचना दे सका था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की गैर हाजिरी कायम कर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। आवेदक कहीं भी फरार नहीं हुआ है। उसने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण बरी हो चुके हैं। आवेदक की गैर हाजिरी मजबूरीवश हुई थी, जिसे क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विचाराधीन न्यायालय के प्रकरण के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 11.07.13 को केदार अनु0 हो गया था उसके बाद दिनांक 08.06.15 को उप0 हुआ है। तत्पश्चात 29.03.16 को चार साक्षियों की साक्ष्य हुई हैं उसके बाद दिनांक 15.07.16 को आवेदक/अभियुक्त केदार अनुपस्थित हो गया। उसे दिनांक 03.02.17 को फरार घोषित किया गया है। उसकी अनुपस्थिति में दो साक्षी विनोद जैन अ0सा0-05 एवं जसराम सिंह अ0सा0-06 की साक्ष्य हुई है। उसके बाद दिनांक 29.11.17 को स्वयं उपस्थित हो गया है और विचारण न्यायालय के द्वारा उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।

यद्यपि केदार दो बार अनु0 रहा है प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण का निर्णय दिनांक 23.08.17 को घोषित किया जा चुका है। वह एक सप्ताह से निरोध में है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत का लाभ

दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि उसके मुचलके की राशि में से 500/-रुपए की राशि राजसात की जावे। जो आवेदक/विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करावे तथा आवेदक की ओर से 20,000/-रुपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा किया जावे:-

1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
3. फरार नहीं होगा।
4. विचारण में सहयोग करेगा।
5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अनुरोध)